



इलाहाबाद बैंक

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष
का लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष (समेकित)	
	31.03.2019 (लेखापरीक्षित)	31.12.2018 (समीक्षित)	31.03.2018 (लेखापरीक्षित)	31.03.2019 (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 (लेखापरीक्षित)	31.03.2019 (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 (लेखापरीक्षित)
1. अर्जित ब्याज (ए) + (बी) + (सी) + (डी)	403699	422825	377681	1686429	1635849	1691577	1639844
(ए) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	249138	274263	243076	1118573	1102853	1118573	1102853
(बी) निवेश पर आय	131737	135401	110925	494283	409734	499418	413720
(सी) भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर बैंक निधिक शेषों पर ब्याज	6946	10047	14184	41365	96866	41378	96875
(डी) अन्य	15878	3114	9496	32208	26396	32208	26396
2. अन्य आय	56587	52863	48256	170021	269256	189061	308907
ए कुल आय (1) + (2)	460286	475688	425937	1856450	1905105	1880638	1948751
3 व्यय किया गया ब्याज	277901	282958	288848	1135349	1162610	1135428	1162674
4 परिचालनगत व्यय (ई) + (एफ)	118959	115833	124799	444400	398663	478617	428148
(ई) कर्मचारी लागत	64812	68431	76422	252987	215810	255115	217863
(एफ) अन्य परिचालनगत व्यय (ब्याज व्यय जिसे अलग से दर्शाया गया है को छोड़कर कुल व्यय के 10% से अधिक के सभी मदें)	54147	47402	48377	191413	182853	223502	210285
बी प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (3) + (4)	396860	398791	413647	1579749	1561273	1614045	1590822
सी परिचालनगत लाभ (ए-बी) (प्रावधान और आकस्मिक व्यय से पहले का लाभ)	63426	76897	12290	276701	343832	266593	357929
डी प्रावधान (कर के अतिरिक्त) और आकस्मिक व्यय	528370	149534	478342	1189790	1002934	1189951	1003127

	जिसमें से अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	527888	190000	512600	1176113	1032645	1176113	1032645
ई	विशिष्ट मदें	0	0	0	0	0	0	0
एफ	करों पर प्रावधान	(81537)	644	(115089)	(79693)	(191665)	(77620)	(187776)
जी	सामान्य कार्यों से (सी-डी-ई-एफ) से निवल लाभ (+)/ हानि(-)	(383407)	(73281)	(350963)	(833396)	(467437)	(845738)	(457422)
एच	असाधारण मदें (निवल कर व्यय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई	अवधि (जी-एच) में लाभ(+)/हानि(-)	(383407)	(73281)	(350963)	(833396)	(467437)	(845738)	(457422)
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य @ ₹ 10 प्रति शेयर)	209684	144399	84404	209684	84404	209684	84404
6	पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियाँ (विगत लेखापरीक्षण वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार)	408980	686742	686742	408980	686742	435518	725530
7	विश्लेषी अनुपात							
(i)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	85.82	79.41	64.78	85.82	64.78	85.82	64.78
(ii)	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	12.51	10.42	8.69	12.51	8.69	12.59	8.83
	(ए) सीईटी 1 अनुपात (%)	9.65	7.06	5.57	9.65	5.57	9.72	5.71
	(बी) अतिरिक्त टियर 1 अनुपात (%)	0.03	0.09	1.12	0.03	1.12	0.03	1.12
(iii)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹)	(21.93)	(5.29)	(43.10)	(65.34)	(59.63)	(66.30)	(58.35)
(iv)	ए) अनर्जक आस्तियों की सकल राशि	2870478	2821879	2656279	2870478	2656279	2870478	2656279
	बी) अनर्जक आस्तियों की निवल राशि	741931	1086526	1222913	741931	1222913	741931	1222913
	सी) सकल एनपीए का %	17.55	17.81	15.96	17.55	15.96	17.55	15.96
	डी) निवल एनपीए का %	5.22	7.70	8.04	5.22	8.04	5.22	8.04
(v)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिक)%	(6.42)	(1.24)	(5.77)	(3.48)	(1.96)	(3.48)	(1.88)
	ब्याज व्यय को छोड़कर कुल व्यय का 10% से अधिक अन्य परिचालन व्यय संबंधी मदें							
	किराया, कर और बिजली	11172*	11470*	10873	43507*	43501	44583*	44200

* ब्याज व्यय को छोड़कर कुल व्यय का 10% से अधिक नहीं

अनुबंध के अनुसार लेखा टिप्पणियाँ

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)
प्रबंध निदेश और मुख्य कार्यपालक
अधिकारी

(बी. के. साहू)
निदेशक

(के. रामचन्द्रन)
कार्यपालक निदेशक

(पी. आर. राजगोपाल)
कार्यपालक निदेशक

(एस. अय्यवाल)
महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) और सीएफओ

(बी. के. साहू)
सहायक महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए)

(रामस्वरूप सरकार)
सहायक महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए)

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक
(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार)

कृते मे. नंदी हलदर एण्ड गांगुली
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 302017ई

कृते मे. पी एल टंडन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000186सी

कृते मे. आर. गोपाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000846सी

(सीए राणा प्रताप नंदी)
पार्टनर
सदस्यता सं.- 051027

(सीए अनिल कुमार अय्यवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं.- 071548

(सी गोपाल दास अय्यवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं.- 051609

कृते मे. जेबीएमटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 320232ई

कृते मे. प्रकाश एस जैन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002423सी

(सीए वाशुदेव ओझा)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 055193

(सीए गौरव थेपाड़िया)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 405326

स्थान : कोलकाता

तिथि : 10/05/2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष हेतु
लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम का टिप्पण लेखन हिस्सा

- 1) इन वित्तीय परिणामों को बनाने में बैंक उन्हीं सार्थक लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रहा है जिनका 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुसरण किया गया था।
- 2) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपर्युक्त वित्तीय परिणाम की समीक्षा की है एवं दिनांक 10 मई, 2019 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने इसे मंजूर किया है। उक्त परिणाम बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन है।
- 3) 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम प्राप्त हो चुका है जिसमें अनर्जक आस्तियों, मानक आस्तियों, पुनर्संचित अग्रिमों, निवेश विमूल्यन, निधिक ब्याज मीयादी ऋण हेतु विविध देयता (ब्याज पूंजीकरण) खाता के प्रावधान का तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेक सम्मत मानक एवं विशेष दिशानिर्देश के आधार पर आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सहित संस्थाओं के एक्सपोजर के प्रावधान पर ध्यान दिया गया है। भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी एएस-15 (संशोधित) पर आधारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
- 4) 1 अप्रैल, 2017 से लागू संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण संबंधी लेखांकन मानक-10 के मुताबिक अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित उक्त वर्ष हेतु रुपये 41.49 करोड़ का विमूल्यन उक्त वर्ष के दौरान ट्रांसफर किया गया है जिसे लाभ या नुकसान खाते के अन्य आय में जमा करवाये बिना पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से रिवेन्यू रिज़र्व में ट्रांसफर किया गया है।
- 5) दिनांक 21.03.2019 को बैंक ने भारत सरकार से रुपये 6896.00 करोड़ का कैपिटल इंप्रूज्मन्ट फंड प्राप्त किया। दिनांक 31.03.2019 तक बैंक ने उक्त को "शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एलोटमेंट" के रूप में बनाये रखा है। 31.03.2019 तक सीईटी 1 पूंजी के रूप में भारत सरकार से प्राप्त रुपये 6896.00 की कैपिटल इंप्रूज्मन्ट फंड की कुल राशि बैंक ने सम्मिलित किया है। दिनांक 24.04.2019 को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के बाद शेयरों का आबंटन किया गया है।
- 6) दिनांक 1 जुलाई, 2015 के आरबीआई मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 6/21.04.141/2015-16 के द्वारा स्वीकृत निदेशक मंडल की मंजूरी से वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही के दौरान हमारे बैंक ने एकबारगी प्रतिभूतियों के एचटीएम से एएफएस में परिवर्तित किया है जिसका अंकित मूल्य रुपये 1857.54 करोड़ है।
- 7) 'बासेल III कैपिटल रेग्यूलेशन' संबंधी दिनांक 01 जुलाई, 2015 के आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 1/21.06.201/2015-16 के साथ पठित 'पूंजी पर्याप्तता एवं तरलता मानक संशोधन' संबंधी दिनांक 31 मार्च, 2015 के आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15 के अनुसार बैंकों को ज़रूरी है कि वे बासेल III फ्रेमवर्क के तहत उपयुक्त पिलर बनाए जिसमें 3 डिस्कलोज़र सहित लिवरेज

अनुपात और तरलता कवरेज अनुपात भी हो। ये डिस्कलोजर बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध होगी। ये डिस्कलोजर लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन नहीं होंगे।

- 8) उपलब्ध वित्तीय विवरणों एवं ऋणदाताओं द्वारा यथा प्राप्त घोषणा के आधार पर, बैंक ने आरबीआई के दिनांक 15.01.2014 तथा 03.06.2014 के परिपत्रों के निबंधनों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक अपने ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोसर पर रुपये 0.67 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 2.25 करोड़) की देयता का अनुमान लगाया है। उपरोक्त राशि पूर्णतः प्रदान की गयी है। आरबीआई निर्देशों के अनुपालन के क्रम में, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुबंध III में प्रदर्शित खाते, जिनमें कार्यनिष्पादन कारणों अथवा कतिपय शर्तों की अनापूर्ति के कारण पुनः संरचना पूर्ण नहीं हो पायी थी तथा आरबीआई निर्देशों के निबंधनों के अनुसार उन खातों का आवश्यक प्रावधान नहीं हो पाया था की यथास्थिति 31 मार्च 2019 तक समीक्षा की गयी है तथा अब इसे वर्गीकृत जा रहा है और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार इनका प्रावधान किया गया है।
- 9) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रु 70.54 करोड़ राशि के तीन सौ बाईस (322) की संख्या में धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्ट की गई। इस तिमाही के दौरान बैंक ने इन खातों में से कुल रु. 13.68 करोड़ की वसूली कर ली है तथा रु. 8.53 करोड़ का प्रतिलेखन प्रावधान किया गया है।
- 10) बैंक ने सीधे समीक्षा पर आधारित वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आयकर अधिनियम के अनुसार तथा आय पर करों हेतु गणना मानक(एस)22 के अनुसार व्यवसाय हानि एवं अमानकीकृत मूल्यहास पर रु.1118.19 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियों को स्वीकृत किया है। इस वर्ष के दौरान नुकसान के लिये कोई और आस्थगित कर आस्तियां नहीं बनाई गई है।
- 11) भारिबैं के परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.23/04.09.01/2015-16 दिनांक 7 अप्रैल 2016 के अनुक्रम में बैंक ने कुल पीएसएलसी को रु.11705 करोड़ (पिछले वर्ष में रु.10283 करोड़) में बेच दिया है, जिसमें से पीएसएलसी सामान्य को रु.5800 करोड़ (पिछले वर्ष में रु.5255 करोड़), पीएसएलसी सूक्ष्म को रु.1950 करोड़ (पिछले वर्ष में रु.1080 करोड़) में, पीएसएलसी एसएफ/एमएफ को रु. 3955 करोड़ (पिछले वर्ष में रु.3948 करोड़) में बेचा है तथा 31 मार्च 2019 को वर्ष की समाप्ति पर रु.56.372 करोड़ की आय का ध्यान रखते हुये रु.2555 करोड़ (पिछले वर्ष में रु.4048 करोड़) की पीएसएली एग्रील को खरीदा है।
- 12) वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु भारिबैं की जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुपालन में आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में विचलन को निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1.	31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एन.पी.ए.	26562.79
2.	31 मार्च 2018 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलन किया गया सकल एनपीए	27562.49

3.	सकल एनपीए(2-1) में विचलन	1128.70
4.	31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल एन.पी.ए.	12229.10
5.	31 मार्च 2018 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलन किया गया कुल एनपीए	12938.30
6.	कुल एनपीए(5-4) में विचलन	709.20
7.	31 मार्च 2018 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एन.पी.ए. हेतु प्रावधान	14308.10
8.	31 मार्च 2018 को भा.रि.बैं. द्वारा एनपीए हेतु आंकलन किया प्रावधान	15330.50
9.	प्रावधान (8-7) में विचलन	1022.40
10.	31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर टैक्स(पीएटी) के पश्चात रिपोर्ट किया कुल लाभ	(4674.36)
11.	प्रावधानीकरण में विचलन के पश्चात 31 मार्च 2018 को वर्ष की समाप्ति पर टैक्स(पीएटी) के पश्चात समायोजित(काल्पनिक) किया गया कुल लाभ	5817.36*

*एनपीआई में रु.120.60 करोड़ के प्रावधान में विचलन सहित।

- 13) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र क्रमांक डीबीआर.बीपी. 9730/21/21.04.2010/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से बैंक को 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के साथ शुरू हुई चार तिमाहियों में ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम 1972 के तहत 29.03.2018 से ग्रेच्युटी सीमाओं रु.10 लाख से रु.20 लाख की वृद्धि वाले खातों की अतिरिक्त देयता को बढ़ाने का विकल्प दिया है। तदनुसार 31.03.2019 को समाप्त तिमाही में रु. 10.78 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है तथा रु.32.32 करोड़ को 2018-19 की आगामी तीन तिमाहियों हेतु आस्थगित कर दिया गया है।
- 14) दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधान के तहत सम्मिलित खातों के संबंध में पत्र क्रमांक डीबीआर.न.बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून 2017 के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया-प्रावधान मापदण्ड को प्रारम्भ करने हेतु भारिबैं के निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2018 तक रु 749.51 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। चालू वर्ष की 31.03.2019 की समाप्ति के दौरान उक्त भारिबैं दिशानिर्देशों के खातों में अतिरिक्त प्रावधानीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि रु.666.48 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से पुराने खातों एवं सुरक्षा मूल्य में भिन्नता के कारण उपलब्ध कराई गई है।
- 15) दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधान के तहत सम्मिलित खातों के संबंध में पत्र क्रमांक डीबीआर.न.बीपी:1841/21.04.048/2017-18 दिनांक 28 अगस्त 2017 के माध्यम से भारिबैं के निर्देशों के

अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2018 तक रु.656.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। चालू वर्ष की 31.03.2019 की समाप्ति के दौरान उक्त भारिबैं दिशानिर्देशों के खातों में अतिरिक्त प्रावधानीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि रु.1003.27 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से पुराने खातों एवं सुरक्षा मूल्य में भिन्नता के कारण उपलब्ध कराई गई है।

16) भारिबैंक ने परिपत्र संख्या डीबीआर.न.बीपी:108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून 2017 के माध्यम से बैंक को एमएसएमई उधारकर्ताओं से नियमित रूप से सम्पर्क कर मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान की है, जहां 1 सितम्बर 2017 एवं 31 दिसम्बर 2018 के बीच उनकी संबंधित मूल निर्धारित तिथियों से 180 दिनों के पश्चात बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। तदनुसार बैंक ने यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को मानक आस्तियों के रूप में रु.250.16 करोड़ का अग्रिम संरक्षित किया है। परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक ने रु.7.62 करोड़ की ब्याज आय को मान्यता नहीं दी है तथा 31 मार्च 2018 को रु.12.13 करोड़ की मानक आस्ति का प्रावधान बनाएं हुये है।

17) बैंक का गैर निष्पादित ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 79.85% हैं।

18) इन्हे तुलनात्मक बनाने के क्रम में जहां भी आवश्यकता है, इसी पिछली अवधि/ तिमाही की समाप्ति पर आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

आस्ति एवं देयता का विवरण निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)				
विवरण	31.03.2019 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2019 को (लेखापरीक्षित)	31.03.2018 को (लेखापरीक्षित)
	एकल		समेकित	
पूंजी एवं देयताएं				
पूंजी	209684	84404	209684	84404
आरक्षित एवं अधिशेष	703348	942435	729886	981222
शेयर एप्लिकेशन मनी पेन्डिंग अलॉटमेंट	689600	150000	689600	150000
जमा	21433407	21360383	21433408	21359539

उधार	1248894	2140052	1249568	2141242
अन्य देयता	572644	588954	645920	655362
कुल	24857577	25266228	24957666	25371769
आस्तियाँ-				
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं बकाया	967232	925088	967246	925101
बैंक का बकाया एवं अल्प सूचना पर मंगाई गई पूंजी	456119	1213092	457749	1216804
निवेश	7955791	6771402	8023769	685231
अग्रिम	14221216	15206074	14221217	15206074
अचल आस्ति	353826	313209	355232	314762
अन्य आस्ति	903393	837362	932453	858796
कुल	24857577	25266228	24957666	25371769

(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव)
प्रबंध निदेश और मुख्य कार्यपालक
अधिकारी

(बी. के. साहू)
निदेशक

(के. रामचन्द्रन)
कार्यपालक निदेशक

(पी. आर. राजगोपाल)
कार्यपालक निदेशक

(एस. अग्रवाल)
महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) और सीएफओ

(बी. के. साहू)
सहायक महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए)

(रामस्वरूप सरकार)
सहायक महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए)

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक
(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार)

कृते मे. नंदी हलदर एण्ड गांगुली
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 302017ई

कृते मे. पी एल टंडन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000186सी

कृते मे. आर. गोपाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000846सी

(सीए राणा प्रताप नंदी)

पार्टनर

सदस्यता सं.- 051027

(सीए अनिल कुमार अग्रवाल)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 071548

(सी गोपाल दास अग्रवाल)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 051609

कृते मे. जेबीएमटी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 320232ई

कृते मे. प्रकाश एस जैन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 002423सी

(सीए वाशुदेव ओझा)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 055193

(सीए गौरव थेपाड़िया)

पार्टनर

सदस्यता सं. - 405326

स्थान : कोलकाता

तिथि : 10/05/2019